

आठवीं
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2019 - 2020



पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित आठवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता / असामंजस्यता / त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशक मंडल

(31 मार्च 2020 को स्थिति)

श्रीमती मंजू जाखड़	(DIN - 06441908)	-	अध्यक्षा एवं निदेशक
श्रीमती ममता चौधरी	(DIN - 07253296)	-	निदेशक
श्रीमती गीता देवी गुर्जर	(DIN - 07573959)	-	निदेशक
श्री द्वृगर सिंह राठोड़	(DIN - 06939769)	-	निदेशक
श्री संडमल शर्मा	(DIN - 07255050)	-	निदेशक
श्री जय सिंह राठोड़	(DIN - 07253278)	-	निदेशक
श्री सुखपाल जाट	(DIN - 06362918)	-	निदेशक
श्री नारायण लाल गुर्जर	(DIN - 08075740)	-	निदेशक
श्री रामचरण जाट	(DIN - 08193547)	-	निदेशक
श्री सुशील कुमार वैष्णव	(DIN - 08527267)	-	निदेशक
डॉ. ओमवीर सिंह	(DIN - 02702981)	-	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. सी.एल. दाधीच	(DIN - 07014747)	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह	(DIN - 06895219)	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री रतन कुमार सिंह	(DIN - 00142430)	-	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव

श्री अनूप गुप्ता

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,
गुरुग्राम, हरियाणा

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर
एच.डी.एफ.सी बैंक, जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जयपुर
बैंक ऑफ बड़ौदा, जयपुर
पंजाब नेशनल बैंक, जयपुर

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.
प्लॉट एनएच-2, प्रथम मंजिल,
नोबल हाइट, सी-1 ब्लॉक, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110 058

रजिस्टर्ड कार्यालय

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर
वैशाली नगर, जयपुर-302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. : +91-141-2352736

ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

श्री कपिल पचौरी

आतंरिक अंकेक्षक

मैसर्स अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,
गुरुग्राम, हरियाणा

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं.
1. निदेशकों की रिपोर्ट	1-9
2. स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	10-17
3. वार्षिक लेखा विवरण:	
(अ) 31 मार्च, 2020 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा	18
(ब) 31 मार्च, 2020 के लिये लाभ-हानि खाता	19
(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	20
4. लेखांकन टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	21-40
5. वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं अनुलग्नक	41-53
6. उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)	54
7. प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)	55



प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की नौवीं वार्षिक आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी ने कुल रु. 1727.10 करोड़ का कारोबार किया। कम्पनी ने कर भुगतान करने के पश्चात् रु. 5.08 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) भी देने की अनुशंसा की है।

कम्पनी ने वर्ष 2019-2020 में 8.80 लाख किलोग्राम प्रतिदिन (अधिकतम एक दिन में 13.77 लाख किलोग्राम) औसतन दुग्ध का संकलन किया जोकि एक रिकॉर्ड है। कम्पनी “पायस” ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध, धी, दही और छाछ इत्यादि उत्पादों का विक्रय किया है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड नाम से मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से उचित सेवायें भी दे रही हैं।

कम्पनी ने नेशनल डेयरी डबलपमेन्ट बोर्ड आनंद से हाइब्रिड नेपियर के स्टेम (कटिंग) लेकर दूध उत्पादकों को मुफ्त में वितरित किये गये जिससे वर्षभर हरा चारा उपलब्ध रहे। कम्पनी ने एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज के सहयोग से आठ मॉडल डेयरी फार्म और अपने स्वयं के संसाधन से छः मॉडल डेयरी फार्म राजस्थान के पांच जिलों (जयपुर, सीकर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर) में विकसित किए हैं।

कम्पनी ने सदस्यों के लिए “संवाद” कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य दूध उत्पादों को कम्पनी की जानकारी देना व उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। कम्पनी अपने सभी सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किये दूध का सम्पूर्ण विवरण SMS द्वारा उनके मोबाइल नं. पर भेज रही है।

कम्पनी की उत्तरोत्तर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,

ह. / -

(रतन कुमार सिंह)

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते आठवीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुध एवं दुध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार के कार्य हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कुल आय	1727.10	1429.51
कुल लागत (व्यय सहित)	1716.56	1408.77
कर के पूर्व लाभ / (हानि)	10.54	20.74
कर हेतु प्रावधान	5.46	7.41
कर के पश्चात लाभ / (हानि)	5.08	13.33

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने रु. 1727.10 करोड़ की कुल आय प्राप्त की जो एक रिकार्ड है।

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी की कुल आय रु. 1727.10 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रु. 1429.51 करोड़ की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रु. 1408.77 करोड़ की तुलना में वृद्धि के साथ कुल व्यय रु. 1716.56 करोड़ रही हैं।

कर के पश्चात लाभ रु. 5.08 करोड़ रहा है, जिसमें पिछले वर्ष कर के पश्चात लाभ रु. 13.33 करोड़ की तुलना में डेयरी क्षेत्र की परिस्थितियों के कारण 62 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रु. 7/- प्रति समता अंश की दर से कुल रु. 2.92 करोड़ सीमित लाभांश (डिविडेंड) राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZI के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने रु. 2.16 करोड़ की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करने का प्रस्ताव किया है।

संचालन कार्य (Operations)

कम्पनी राजस्थान के 3302 गाँवों में स्थित 3600 दुध संकलन केन्द्र से दुध संकलन कर रही है। समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी ने पिछले वर्ष 30.37 करोड़ लीटर की तुलना में 31.25 करोड़ लीटर दुध का संकलन किया। इसमें से, 3.35 करोड़ लीटर गाय का दूध अलग से थोक बिक्री के लिए संकलन किया गया। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी उत्पादक मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रकार में पॉली पैक दुध का विक्रय कर रही है। पिछले वर्ष पॉली पैक दुध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः: 306 लाख लीटर व 1160 मैट्रिक टन की तुलना में, समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी के पॉली पैक दुध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः: 350 लाख लीटर व 1076 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके दुध एवं दुध उत्पादों की बिक्री आगे बढ़ेगी इसलिए कम्पनी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

विजिट (Visit)

हमे आपको सूचित करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि पायस के अनुभव से सीखने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के उच्चाधिकारी ने पायस की विजिट की है।

क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

समीक्षा वर्ष के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड (CARE) ने कम्पनी को पुनः “AA-” (डबल ए माइनस) रेटिंग दी है। रेटिंग कम्पनी की ऋण प्राप्ति पर एक सामान्य राय देती है।

उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

दुध एवं दुग्ध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी ग्राहकों को गुणवत्ता दुध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं:

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियां
फिट एन फाइन	डबल टोन्ड मिल्क	फैट: 1.5 एस.एन.एफ: 9.0	200ml, 500ml, 1L, 6L
ताजा	टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0 एस.एन.एफ: 8.5	500ml, 1L, 6L
गोल्ड	फुल क्रिम मिल्क	फैट: 6.0 एस.एन.एफ: 9.0	500ml, 1L, 6L
चाय विशेष	होमोलाइज़ टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0 एस.एन.एफ: 8.5	200ml, 500ml, 1L, 6L

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में दुध का विक्रय करती है।

दही

पायस “दही” का 200 ग्राम और 85 ग्राम के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

छाछ

पायस छाछ का 400 ml के पैक और मसाला छाछ का 200 ml के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

घी

पायस घी आधा लीटर (सिक्का पैक), 1 लीटर (सिक्का पैक), 2 लीटर टिन, 5 लीटर टिन एवं 15 किलोग्राम के टिन में ग्रामीण एवं शहरी विपणन प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

उत्पाद विकास (Product Development)

मार्केट की उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया से, कम्पनी अपने दुग्ध उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

पशु आहार (Cattle Feed)

वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी ने अपने “मुद्रिका” ब्राण्ड जिसमें दो प्रकार के पशु आहार BIS Type-II और गोल्ड हाई एनर्जी की लगभग 42591 मैट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की। गत वर्ष की तुलना में इस बिक्री में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि रही। पिछले 5 वर्षों के दौरान, पशु आहार की बिक्री लगभग 3 गुना बढ़ी है।

राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर

(Rajasthan Specific Mineral Mixture and Ration Balancer)

राजस्थान की मिट्टी में खास खनियों की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर का विकास करने के लिए कम्पनी ने सुनियोजित किया है और इसे कम्पनी अपने “मुद्रिका” ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 93 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर और 41 मैट्रिक टन राशन बैलेंसर वितरित किया है।

चारा विकास (Fodder Development)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोगिता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने हेतु चारा संरक्षण को प्रोत्साहन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। चारा विकास के अन्तर्गत, साईलेज प्रदर्शन, चारा फसलों (थॉर्नलेस कैटटस, नेपियर घास) का प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति जैसी गतिविधियां की जा रही है।

कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ती दरों पर गुणवत्तायुक्त चारा बीज जिसमें रिजका, जई, ज्वार, मक्का और बाजरा के बीजों का वितरण कर रही है। कम्पनी ने नेशनल डेयरी डिलपमेन्ट बोर्ड (NDB) आनंद से हाइब्रिड नेपियर के स्टेम लेकर दूध उत्पादकों को मुफ्त में वितरित किये गये जिससे वर्षभर हरा चारा उपलब्ध रहे। समीक्षा अवधि के दौरान कुल 734 क्विंटल चारा बीज का वितरण किया गया। भविष्य में, विभिन्न प्रकार के चारे की अन्य किस्में जैसे सहजन, चारा चुकंदर और चाइनीज केबिज आदि की योजना बनाई गई है।

मॉडल डेयरी फार्म (Model Dairy Farm)

मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, पायस ने अपने स्वयं के सहयोग से (6) छ: मॉडल डेयरी फार्म विकसित किए हैं। वर्तमान में, राजस्थान के पाँच जिलों (जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा) में कुल 14 मॉडल डेयरी फार्म कार्यान्वित हैं।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

पीआईबी विभाग का मुख्य कार्य सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति शिक्षित और संवेदनशील बनाना तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है।

पायस ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाये हैं, उत्पादक जागरूकता/महिला जागरूकता एवं गुणवत्ता और स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में जानकारी कार्यक्रमों को एक जागरूकता कार्यक्रम “संवाद” में विलय कर दिया गया है। “संवाद” कार्यक्रम के तहत 8 जिलों में कुल 2151 कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिसमें 52967 दूध उत्पादकों को आगे बढ़कर सक्रिय रूप से डेयरी गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आय एवं दूध की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, 1012 ग्रामीण युवाओं को 'ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डेयरी के महत्व को समझाकर इसे भावी आजीविका के अतिरिक्त/वैकल्पिक स्रोत के रूप में स्वीकार करने हेतु प्रोत्साहित करना था और ग्रामीण बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत 850 ग्रामीण बच्चों को दुध एवं दुध उत्पादों की पोषक तत्वों और गुणवत्ता पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हे अपने आप को स्वस्थ बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में डेयरी उत्पादों का सेवन करने के लिए उत्साहित किया गया।

एक विशाल कार्य क्षेत्र एवं सदस्यों के आधार वाली एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है कि दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करते हुये कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुड़ाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर 2888 अनौपचारिक विलोज कॉन्ट्रेक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) बनाए गए, जिसमें 10336 सदस्य थे और 227 मिल्क रूट पर अनौपचारिक मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) बनाये गये, जिसमें 2888 सदस्य शामिल थे। कम्पनी ने सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें 42 सदस्यों को नेतृत्व कर्तव्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रशिक्षित किया गया।

आगे बढ़ते हुये, निदेशक मंडल के सदस्यों को अक्टूबर 2019 में "इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट" पर प्रशिक्षण दिया गया। एक्सपोजर विजिट के अंतर्गत, बोर्ड के सदस्यों ने सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, आगरा की एक्सपोजर विजिट की और उन्होंने जयपुर में आयोजित 48वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेन्स में भी भाग लिया।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आर.बी.पी.) (Ration Balancing Programme)

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुध उत्पादन की लागत कम कर दुध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

पायस ने वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान अपने स्वयं के संसाधनों से राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं प्रदान की है। आर.बी.पी. ने पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को बदलने में मदद की है। कम्पनी ने उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (Artificial Insemination Programme)

नेशनल डेयरी प्लान के अंतर्गत, कम्पनी ने प्रशिक्षित मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 में पायस ने अपने स्वयं के संसाधनों से किसानों के घर तक कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने का कार्यक्रम निरन्तर जारी रखा है। प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की सुविधा हेतु मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) पायस के संचालित 20 एम.सी.सी. क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। PES एकजीक्यूटिव प्रत्येक एम.सी.सी. क्षेत्र की देखरेख करते हैं। पशु प्रजनन विशेषज्ञ, सभी PES एकजीक्यूटिव को तकनीकी और देखरेख में सहायता प्रदान करता है।

कम्पनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान 372 MAIT के माध्यम से लगभग 252548 कृत्रिम गर्भाधान किये हैं।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता हमेशा से ही ध्यानाकर्षण का क्षेत्र रहा है। हमारे दुध अवशीतन केन्द्र आवश्यक दुध जांच उपकरणों से सुरक्षित है। दुध जांच उपकरण जैसे डिजीटल इलेक्ट्रोनिक बैलेंस, वाटर बाथ, वोरटेक्स शेकर्स, ऑवन, आर.एम. जांच उपकरण, बी. आर. मीटर, रेमी सेन्ट्रीयूज मशीन, सोडियम विश्लेषक और रेफ्रिजरेटर आदि केन्द्रों पर कच्चे दुध की गुणवत्ता जांचने के लिए उपलब्ध है। गाय के दूध को प्राप्त करने, अवशीतन और भंडारण करने और प्रेषण करने के लिए अवशीतन केन्द्रों पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है।

जिससे इच्छुक खरीदारों को अच्छी गुणवता का दुध की आपूर्ति की जा सके। पद्धति उन्नतीकरण जैसे अधिक दुध आने वाले शीतलन केंद्रों पर अतिरिक्त डॉक और संग्रह की सुविधा, प्रयोगशाला का विस्तार, दुध की ताजगी को सुरक्षित करने के लिए ऐफिजरेशन क्षमता में वृद्धि, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आदर्श दुध शीतलन केंद्र की स्थापना जैसे - ऑटो सीआईपी, ऑटो कन्वेयर आदि को आरम्भ किया गया।

केमिस्ट तथा एमसीसी इन्चार्ज के कौशल सुधार हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

निदेशक (Directors)

श्रीमती कमला देवी, कम्पनी की निदेशक के पद से 16 सितम्बर, 2019 को सेवानिवृत्त हुई। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कम्पनी को दिये गये सहयोग हेतु धन्यवाद देता है।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार, श्री सुशील कुमार वैष्णव को 16 सितंबर, 2019 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री श्रीराम सिंह को विशेषज्ञ निदेशक के रूप में 26 जून, 2020 से 2 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया है।

डॉ. ओमवीर सिंह ने दिनांक 28 सितम्बर, 2020 से विशेषज्ञ निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया है। बोर्ड उनको विशेषज्ञ निदेशक के रूप में कम्पनी को दिये गये सहयोग हेतु धन्यवाद देता है।

डॉ. सी. पी. देवानन्द को कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 से 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुनः नियुक्ति

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षता के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गों श्रेणी-ए, श्रेणी-बी तथा श्रेणी-सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम-सभा में अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में सदस्यों द्वारा संरक्षक के मानदण्ड पूरे करने के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी के सदस्य क्रमशः 7%, 17% और 76% थे। तदनुसार, बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमशः श्रेणी-ए में 3 निदेशक, श्रेणी-बी में 4 निदेशक तथा श्रेणी-सी में 4 निदेशक होती हैं। बोर्ड अन्तर्नियम के अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :–

श्रेणी-ए के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक हैं इसलिये नौवीं वार्षिक आम सभा में निदेशकों की श्रेणी ए में कोई सेवानिवृति/चुनाव नहीं हैं।

श्रेणी-बी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 निदेशक हैं। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती मंजू जाखड़, कम्पनी की निदेशक, जिन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए वह आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होगी। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्रीमती मंजू जाखड़ के स्थान पर श्रीमती ममता चौधरी, जो “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्री लादू लाल “श्रेणी-बी” के प्रतिनिधि है को श्रेणी बी के रिक्त पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की नौवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलझक हैं।

श्रेणी-सी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 निदेशक हैं। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती गीता देवी गुर्जर, कम्पनी की निदेशक, “श्रेणी सी” की प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगी और अपने आप को पुनः नियुक्ति के लिये प्रस्तुत करती हैं। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने उनकी पुनः नियुक्ति की अनुशंसा की है।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री झूंगर सिंह राठौड़, कम्पनी के निदेशक, जिन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए वह आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के संरक्षता मापदंडों के आधार पर, बोर्ड ने श्रेणी सी का यह रिक्त पद श्रेणी बी को आवंटित किया है। हालांकि, वर्तमान समय में “श्रेणी बी” का यह एक रिक्त पद भरा नहीं गया है।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की नौवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलझक हैं।

सदस्यता/वोटे देने का अधिकार/अंश पूँजी

31 मार्च, 2020 को प्रदत्त अंश पूँजी रु 41.78 करोड़ है, जबकि कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 112169 सदस्य दर्शाये गये हैं। इस समीक्षा अवधि के दौरान 1338 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नहीं करने के कारण निरस्त/समर्पित कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2020 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 728 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है तथा 1338 सदस्यों की सदस्यता मापदण्ड पूरे नहीं करने के कारण निरस्त/समर्पण कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 111559 है।

सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए अथवा श्रेणी बी अथवा श्रेणी सी से सम्बन्धित संरक्षता मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें। जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में दर्शाये गये 112169 सदस्यों में से 44016 सदस्यों को आम सभा के सूचना पत्र में वर्णित सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है और 13618 सदस्य, जिन्होंने वोट करने का अधिकार के लिए आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की है) लेकिन उन्होंने अपने श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तों को पूरा नहीं किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन पर वोट नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 53197 सदस्य, जिन्होंने वोट करने के लिए उपरोक्त आधारभूत शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसलिए उन्हें आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं है। शेष, 1338 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

728 नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2020 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं, वे वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लाभांश एवं नौवीं वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2AA) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल इसके सदस्यों को सूचित करता है कि:-

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखाकंन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

- b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।
- c) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
- d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति (Internal Control System)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZF की अनुपालना में मैसर्स अरेस्ट एवं यंग एल.एल.पी. चार्टर्ड एकाउटेंट्स् को कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया है जोकि स्वंत्र रूप से कम्पनी के खातों का अंकेक्षण करते हैं।

अंकेक्षक (Auditors)

मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स्, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल आगामी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा योग्य होने पर स्वयं को पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया है। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है कि आगे उनकी पुनःनियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224(1B) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

निदेशक मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में पुनःनियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

सावधि जमा (Fixed Deposits)

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के संदर्भ में, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर यथोचित रूप से लागू होंगे, जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 निरस्त नहीं किया गया, जब तक उनके लिए एक विशेष अधिनियम नहीं बनाया जाता है। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये, 25 नवम्बर, 2015 और 9 मार्च, 2016 को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) प्रावधानों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिकता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कम्पनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), नई दिल्ली के समक्ष अपना अभिवेदन दाखिल किया है। MCA से स्पष्टीकरण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

आगे, कम्पनी संशोधन अधिनियम, 2020 के तहत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA को कम्पनी अधिनियम, 2013 में प्रोड्यूसर कम्पनी के लिए नए अध्याय XXIA के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए, प्रोड्यूसर कम्पनी के लिए नए अध्याय XXIA की अधिसूचना के पश्चात, CSR के प्रावधानों की अनुपालना प्रारम्भ की जायेगी।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंग उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निवारण,

प्रतिषेध और प्रतितोष पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी गई है।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2A) के प्रावधानों को कम्पनीज (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पढ़े जाने के संदर्भ, कर्मचारियों का आवश्यक विवरण अनुलग्नक-ए के रूप में इस रिपोर्ट में उल्लेखित है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनियम आय तथा निकासी

(Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(e) के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में इसे (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) कम्पनी नियम, 1988 के साथ पढ़ा जाये:

- (i) ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में भाग ए तथा बी के नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ii) विदेशी विनियम आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते हैं, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डिवलपमेंट बोर्ड, एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

वास्ते निदेशक मंडल

ह./-

(मंजू जाखड़)

अध्यक्षा एवं निदेशक

स्थान : जयपुर

दिनांक : 26 अक्टूबर, 2020

निदेशको की रिपोर्ट का अनुलग्नक-अ

(i) पूरे वित्तीय वर्ष में कार्यरत है

क्रं सं.	नाम	पद/कार्य का स्वरूप	योग्यताएं	अनुभव (वर्षों)	नियुक्ति की दिनांक	नियुक्ति का स्वरूप	कुल पारिश्रमिक वार्षिक (रु. में)	आयु	पूर्व नियुक्ति/स्थिति
1.	श्री रतन कुमार सिंह	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी	पी.जी.डी.आर. डी.एम. (ईरमा) बी.एस.सी. (डेयरी टेक्नोलॉजी)	38	01.06.2015	स्थायी	70,75,329/-*	58	मदर डेयरी फ्लूट एण्ड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड
(ii) वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए नियुक्त									
NIL									

* दिनांक 14.08.2020 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित Performance linked incentive (PLI) की राशि शामिल है।

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिये वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट (Auditors' Report)

राय (Opinion)

हमने पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते हैं एवं अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों को कम्पनीज (लेखा मानकों) नियम, 2006 एवं संशोधित ("लेखा मानकों") के साथ पढ़े, जाने के संदर्भ में, 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएं देते हैं।

राय (Opinion) के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट

- कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से अंसंगत हैं या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस उस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी के निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जोकि लेखांकन मानकों एवं आमतौर पर भारत में लागू अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमिताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसाकि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नहीं ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रुकावट उत्पन्न कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बयानों का परिणाम है जिससे यह संभावना होती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, (i) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। (ii) एकल (standalone) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते हैं।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :-
 - (अ) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - (ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें हैं जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।
 - (स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिठ्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - (द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है।
 - (य) 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2020 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
 - (र) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट “अनुलग्नक अ” को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।
 - (ल) अधिनियम की धारा 197(16) जैसाकि संशोधित किया गया है, की आवश्यकताओं के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है इसलिए धारा 197 जोकि प्रबंधक पारिश्रमिक से संबंधित है, लागू नहीं होती है।
 - (ब) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, जैसाकि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएँ तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:-
 - i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लम्बित मुकदमे प्रकट किये हैं जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो - वित्तीय विवरणों के नोट 26 को देखें।
 - ii. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।
 - iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण किए जाने वाली कोई भी राशि नहीं है।
2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश/ CARO 2016) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्राओं पर विवरण “अनुलग्नक ब” में दिया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA की धारा 581ZG में वर्णित मुद्राओं (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होंगे जिस प्रकार अधिनियम, 1956 में लागू थे जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता) पर हमने विवरण “अनुलग्नक स” में दिया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

(UDIN: 20087104AAAAEB5704)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 अगस्त, 2020

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – “अ”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 1(f) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागु करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (“दिशानिर्देश लेख”) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागु होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख-रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय (Opinion)

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2020 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते एस. बी. बिल्हीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)
(UDIN: 20087104AAAAEB5704)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 अगस्त, 2020

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक - “ब”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

(i) कम्पनी की संपत्ति, प्लांट और उपकरण के संबंध में :-

- अ. कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।
 - ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा संपत्ति, प्लांट और उपकरण का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्ति, प्लांट और उपकरण के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।
 - स. हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी ने लीज पर ली गई भूमि पर भवन का निर्माण किया है और लीज अनुबन्ध कम्पनी के नाम से है।
- (ii) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।
- (iii) कम्पनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में आवृत किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।
- (iv) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गारंटी प्रदान नहीं की है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vi) कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, CARO 2016 के अनुच्छेद (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vii) वैधानिक देय के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :-

- अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, सेस तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किये गये कार्यों पर किसी भी प्रकार के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।
- ब. 31 मार्च, 2020 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवाकर, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हो।
- स. आय कर, वस्तु एवं सेवाकर की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2020 को देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो। कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किये गये कार्यों पर किसी भी प्रकार के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

- (viii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों के ऋण या उधार की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है। कम्पनी ने सरकार या वित्तीय संस्थानों से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी किये हैं।
- (ix) कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या अवधि ऋण से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (ix) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (x) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा या कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।
- (xi) कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xii) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है। जहां भी लागु हों, संबंधित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा संबंधित पक्षकारों के संपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जोकि लागू होने वाले लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।
- (xiv) वर्ष के दौरान कम्पनी ने अंशों का व्यक्तिगत स्थापन और अधिमान्य आवंटन या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्रों का आवंटन नहीं किया है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xiv) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी के लिए लागू नहीं होती है।
- (xv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर-नकटी व्यवहार नहीं किये हैं अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागु नहीं होते हैं।
- (xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत् कम्पनी को पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

वास्ते एस. बी. बिल्हीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)
(UDIN: 20087104AAAAEB5704)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2020

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक-“स”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

- i. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 15 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।
- ii. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की हस्तगत रोकड और निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2020 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।
- iv. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है जो की कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरुद्ध हो।
- v. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)
(UDIN: 20087104AAAAEB5704)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2020

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को आर्थिक चिट्ठा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
अ.	समता एवं दायित्व			
1.	अंशधारकों का कोष			
(अ)	अंश पूँजी	3	417,792,700	374,068,400
(ब)	संचयित एवं अधिशेष	4	672,235,601	611,909,545
			1,090,028,301	985,977,945
2.	आंवटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि		16,948,800	19,516,650
3.	स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	73,380,250	104,393,894
4.	गैर-चालू दायित्व			
(अ)	स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	6	-	363,575
(ब)	अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	117,682,196	107,831,200
			117,682,196	108,194,775
5.	चालू दायित्व			
(अ)	अल्पकालीन ऋण	8	898,207,709	941,049,494
(ब)	व्यापारिक लेनदारियाँ	9	6,636,331	-
(i)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		6,636,331	-
(ii)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		690,468,011	701,839,773
(स)	अन्य चालू दायित्व	10	45,371,082	147,750,838
(द)	अल्पकालीन प्रावधान	11	21,429,576	-
			1,662,112,710	1,790,640,105
	योग		2,960,152,257	3,008,723,369
ब.	संपत्तियाँ			
1.	गैर चालू संपत्तियाँ			
(अ)	संपत्ति, इंस्टांट और उपकरण			
(i)	मूर्च संपत्तियाँ	12अ	196,249,769	242,792,230
(ii)	अमूर्च संपत्तियाँ	12ब	942,188	15,964,540
(iii)	प्रगति अधीन पूँजीगत कार्य	12स	-	-
			197,191,957	258,756,770
(ब)	स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	6	957,447	-
(स)	दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	13	26,201,468	22,579,580
			224,350,872	281,336,350
2.	चालू संपत्तियाँ			
(अ)	स्टॉक	14	80,965,795	128,800,859
(ब)	व्यापारिक लेनदारियाँ	15	1,612,442,547	1,526,480,773
(स)	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	16	1,007,050,619	1,021,172,816
(द)	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	12,858,557	28,392,285
(य)	अन्य चालू संपत्तियाँ	18	22,483,866	22,540,286
			2,735,801,385	2,727,387,019
	योग		2,960,152,257	3,008,723,369

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में,

वास्ते एस. बी. विहुमारिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हैं/-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 अगस्त, 2020

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हैं/-
मंजु जाखड़
निदेशक

हैं/-
सुखपाल जाट
निदेशक

हैं/-
रतन कुमार मिह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

हैं/-
अमृत गुप्ता
कम्पनी सचिव
स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 अगस्त, 2020

हैं/-
कपिल पचौरी
सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि का विवरण

(रुपये ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	व्यवसाय से आय	19	17,208,916,896	14,231,475,635
2.	अन्य आय	20	62,130,430	63,706,628
3.	कुल आय (1+2)		17,271,047,326	14,295,182,263
4.	व्यय			
	(अ) व्यवसायिक माल का क्रय	21	15,891,685,607	12,962,240,045
	(ब) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ड्रेड में परिवर्तन	22	47,835,064	(2,509,258)
	(स) कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	23	122,159,778	97,079,014
	(द) वित्त लागत	24	31,711,264	33,848,434
	(य) मूल्य हास एवं क्षति संबंधी व्यय	12	30,972,716	35,889,748
	(र) अन्य व्यय	25	1,041,235,575	961,164,508
	कुल व्यय		17,165,600,005	14,087,712,491
5.	कर पूर्व लाभ (3-4)		105,447,321	207,469,772
6.	कर व्यय			
	(अ) चालू कर		29,000,000	76,000,000
	(ब) स्थगित कर शुल्क/(जमा)(Deferred Tax Charge)/(Credit)		(1,321,022)	(2,051,233)
	(स) पूर्व वर्षों से संबंधित प्रावधान (नोट 38 को देखें)		26,893,397	184,276
	शुद्ध कर व्यय		54,572,375	74,133,043
7.	वर्ष का लाभ (5-6)		50,874,946	133,336,729
8.	प्रति समता अंश आय:	31		
	(न्यूनतम मूल्य रु. 100/- प्रति शेयर)			
	(अ) मूल		13.38	40.48
	(ब) डायल्यूटेड		13.38	40.47

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

वास्ते एम. बी. विहृष्णोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

ह./-
मंजू जाखड़
निदेशक

ह./-
सुखपाल जाट
निदेशक

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2020

स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 अगस्त, 2020

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये ₹ में)
अ.	व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	कर से पूर्ण लाभ	105,447,321	207,469,772
	समायोजन के लिये :		
	वित्त लागत-ऋण पर ब्याज व्यय	31,692,511	33,845,682
	ब्याज से आय	(50,795,146)	(48,354,984)
	मूल्य हस्स तथा क्षति संबंधी व्यय	30,972,716	35,889,748
	संपत्ति, प्लाट और उपकरण की बिक्री/वसूली पर लाभ	(2,871,762)	(2,685,496)
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्ण व्यावसायिक लाभ	114,445,641	226,164,722
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन हेतु समायोजन :		
	रट्टेक में कमी/(वृद्धि)	47,835,064	(2,509,258)
	व्यापारिक लेनदारियों में कमी/(वृद्धि)	(85,961,774)	(90,965,630)
	अन्य चालू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-	64,728
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	(3,637,313)	(5,248,095)
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	15,533,728	16,598,643
	अन्य दीर्घकालीन दायित्व में (कमी)/वृद्धि	9,850,996	5,308,187
	व्यापारिक देनदारियों में (कमी) / वृद्धि	(4,735,431)	188,910,630
	प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि	117,558	-
	अन्य चालू दायित्वों में (कमी) / वृद्धि	(109,422,418)	101,751,637
	व्यवसाय से उत्पन्न/(उपयोग) रोकड़	(15,973,949)	440,075,566
	शुद्ध आय कर (भुगतान) / वापसी	(34,565,954)	(102,269,888)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (अ)	(50,539,903)	337,805,678
ब.	निवेशात्मक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये हैं	(449,150,094)	(13,191,134)
	संपत्ति, प्लाट और उपकरण पर पूँजीगत व्यय (प्राप्त पूँजीगत अनुदान का शुद्ध)	(705,798)	(4,470,198)
	प्राप्त व्याज	50,851,567	35,680,166
	संपत्ति, प्लाट और उपकरण की बिक्री/वसूली पर प्राप्तियाँ	3,156,012	2,860,949
	निवेशात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (ब)	(395,848,313)	20,879,782
स.	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	समन्वय अंश जारी करने से प्राप्तियाँ	24,207,650	29,210,500
	अंश आवेदन हेतु प्राप्त राशि	16,948,800	19,516,650
	प्रतिमूलति (Security) प्रीमियम से प्राप्तियाँ	45,527,850	39,937,550
	कार्यशील पूँजी ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(42,841,785)	(14,359,458)
	लाभांश का भुगतान लाभांश कर सहित	(36,076,741)	(36,774,791)
	वित्त लागत भुगतान	(24,649,849)	(35,749,172)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (स)	(16,884,075)	1,781,279
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)(अ+ब+स)	(463,272,291)	360,466,740
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	798,514,421	438,047,681
	वर्ष के समाप्त पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	335,242,130	798,514,421
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
	बैंकों में शेष:		
	चालू खातों में	40,702,194	212,344,762
	जमा खातों में	294,539,936	586,169,659
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसार	335,242,130	798,514,421
	जटियों : बैंक शेष जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये हैं	671,808,489	222,658,395
	चिट्ठों के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष (नोट 16)	1,007,050,619	1,021,172,816

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न प्रियों के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. बिल्हीमारेया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह. / -

जितेन्द्र अग्रवाल

पाट्टर

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 अगस्त, 2020

वास्ते पिन्डेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह. / -

मंजू जाखड़

निदेशक

ह. / -

अनुप गुप्ता

कम्पनी सचिव

स्थान : जग्गुर

दिनांक : 14 अगस्त, 2020

ह. / -

सुखपाल जाट

निदेशक

ह. / -

कपिल पचौरी

सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

ह. / -

रतन कुमार सिंह

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

1. कम्पनी के बारे में

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (“कम्पनी”) का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था।

कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक दूध (पीपीएम) एवं धी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरी फ्रैश एवं पशु के सीमेन की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं:-

a. लेखांकन का आधार

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 133 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम 2013”)/कम्पनी अधिनियम 1956 (“अधिनियम 1956”) के संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये हैं। एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर उसी प्रकार लागू होंगे जब तक की कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं कर दिया जाता है। कम्पनी के वित्तीय विवरण उपचय लेखांकन (Accrual Accounting) के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के संगत में इस वर्ष भी उन्हीं नीतियों का पालन किया गया है।

b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग संपत्तियों एवं दायित्वों की राशियों (अनिश्चित दायित्वों को सम्मिलित करते हुए) तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कम्पनी प्रबन्धन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित है। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

c. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में जमायें शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्ता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हे किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

d. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है जिससे लाभ हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चों, भविष्य में प्राप्त होने वाले राशियाँ, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किए गये राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

e. आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है।

f. अन्य आय

जमाओं पर ब्याज की आय को उपार्जित के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

g. संपत्ति, प्लांट और उपकरण (मूर्त/अमूर्त)

संपत्ति, प्लांट और उपकरण

संपत्ति, प्लांट और उपकरण को उनकी लागत में से संचित हास/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगाने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चों जो उस संपत्ति को बांछित प्रयोग में लाने के लिये किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चों तथा संपत्ति, प्लांट और उपकरण क्रय करने के हेतु लिये गये ऋण पर उसे बांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण पर क्रय करने के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार के अन्य खर्चों जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पूंजीकरण किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को उनकी अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन और क्षति को कम करने के उपरांत दर्शाया गया है। अमूर्त संपत्ति मान्यता प्राप्त है, जहाँ यह संभावना है कि संपत्ति के कारण व्यवसाय को भविष्य के आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और जहाँ इसकी लागत को स्थिरता से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्ति की परिशोधन राशि को एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके उपयोगी अस्तित्व के सर्वोत्तम अनुमान पर आवंटित किया जाता है।

कम्पनी सॉफ्टवेयर लागत का पूंजीकरण करती है जहाँ उचित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर का एक उपयोगी अस्तित्व है। सॉफ्टवेयर पर मूल्यहास प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष के उपयोगी अस्तित्व के अनुमान के आधार लगाया गया है।

h. प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबंधित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चों और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

i. मूल्य हास तथा परिशोधन

मूर्त / अमूर्त सम्पत्तियों पर मूल्य हास/परिशोधन सम्पत्तियों के उपयोगी अस्तित्व पर सम्पत्तियों की प्रकृति, सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोग, सम्पत्तियों की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन के अतीत का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिक आश्वासन एवं रख-रखाव समर्थन आदि के आधार पर तकनीकी सलाह के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

मूल्य-हास लगाने के लिये उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) निम्न प्रकार है:-

विवरण	उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)
बिलिंग	10
प्लांट एवं उपकरण	10
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिकचर्स	15
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	3
ऑफिस उपकरण	10
ट्रेड मार्क	5

मूल्य-हास का आंकलन वृद्धि की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

सभी एकल संपत्तियाँ जिनकी लागत रु. 5,000/- या इससे कम है उन पर पूंजीकरण वर्ष में पूर्ण मूल्य हास लगाया जाता है।

j. स्टॉक

स्टॉक में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग माल, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर एवं अप्रचलन एवं अन्य हानियाँ प्रदान करने के पश्चात् वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, पर किया जाता है। लागत का

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतु किये गये हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

k. अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य-हास संबंधित संपत्ति, प्लांट और उपकरण पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान के तरह माना जाता है तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य हास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुये लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

I. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनायें।

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ-हानि खातों में दर्शाया जाता है।

(b) निर्धारित लाभ योजनायें।

ग्रेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोत्तरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(c) अल्प-कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है। जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभांवना है।

(d) दीर्घ-कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समाप्तन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

m. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात् शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्टूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात् के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित समता अंशों की संख्या (एन्टी डायल्टूटेड समता की अंशों संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

n. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (Deferred Tax) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर-शोषित-मूल्य हास (Unabsorbed Depreciation) एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए भविष्य में प्रर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर-शोषित-मूल्य हास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

o. ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे संबंधित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता है। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूँजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूँजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता है। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ-हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता है।

p. संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व-बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

q. प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब कम्पनी को किसी पूर्वकालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्रोतों का बर्हिंगम होगा, जिसके लिये उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठे बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे बनाने की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शानि हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को लेखां नोट्स में दर्शाया जाता है।

r. लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस संपत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ-हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

s. महत्वपूर्ण घटनायें

चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण समायोजन घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

t. संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

नोट सं. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2020 को स्थिति		31 मार्च 2019 को स्थिति	
	अंशों की संख्या	राशि (₹में)	अंशों की संख्या	राशि (₹में)
3. अंश पूँजी				
(अ) अधिकृत अंश पूँजी प्रति समता अंश राशि रु. 100/-	<u>5,000,000</u>	<u>500,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>500,000,000</u>
(ब) जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी प्रति समता अंश राशि रु. 100/-	<u>4,177,927</u>	<u>417,792,700</u>	<u>3,740,684</u>	<u>374,068,400</u>

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :-

नोट्स :-

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कंपनी ने एक श्रेणी के रु. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य एक बोट का अधिकारी है। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ तथा समापन पर समता अंशों तथा अदत्त राशियों का मिलान:

विशिष्टियाँ	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 समाप्त वर्ष के लिए	
	अंशों की संख्या	राशि (₹में)	अंशों की संख्या	राशि (₹में)
वर्ष के प्रारम्भ में अदत्त अंश	3,740,684	374,068,400	3,389,389	338,938,900
वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	910,557	91,055,700	857,941	85,794,100
वर्ष के दौरान निरस्त/समर्पण किए गए				
समता अंश	(473,314)	(47,331,400)	(506,646)	(50,664,600)
वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	<u>4,177,927</u>	<u>417,792,700</u>	<u>3,740,684</u>	<u>374,068,400</u>

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूँजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूँजी नहीं है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
4.	संचित एवं अधिशेष		
(अ)	सामान्य संचय		
	प्रारम्भिक शेष	491,627,305	394,367,316
	जोड़िये : लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से अंतरित	21,629,456	97,259,989
	अंतिम शेष	<u>513,256,762</u>	<u>491,627,305</u>
(ब)	लाभ-हानि विवरण में अधिशेष		
	प्रारम्भिक शेष	36,076,740	36,774,791
	जोड़िये : वर्ष का लाभ	50,874,946	133,336,729
	घटाईयें :		
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को (रु.8/- प्रति समता अंश)		
	अंतिम सीमित प्रतिफल (डीविडेंड)	29,925,472	30,504,501
	उपरोक्त सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) पर कर	6,151,269	6,270,290
	सामान्य संचय में अंतरित	<u>21,629,456</u>	<u>97,259,989</u>
	अंतिम शेष	<u>29,245,489</u>	<u>36,076,740</u>
(स)	प्रतिभूति प्रीमियम		
	प्रारम्भिक शेष	84,205,500	44,267,950
	जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंशों पर प्रीमियम	45,527,850	39,937,550
	अंतिम शेष	<u>129,733,350</u>	<u>84,205,500</u>
		<u>672,235,601</u>	<u>611,909,545</u>
5.	स्थगित अनुदान (Deferred Grant)		
	प्रारम्भिक शेष	104,393,894	161,962,132
	जोड़िये : वर्ष के दौरान पूँजीगत अनुदान का उपयोग (नोट 32 को देखें)	-	657,850
	घटाईये : अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य छाप (नोट 12 को देखें)	31,013,644	58,226,088
	अंतिम शेष	<u>73,380,250</u>	<u>104,393,894</u>

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट विविधियाँ सं.	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
6. स्थगित कर (संपत्तियाँ)/दायित्व (Deferred tax (Assets)/liability)		
(अ) उन मर्दों का कर प्रभाव जो स्थगित कर (संपत्तियाँ)/दायित्वों का हिस्सा है :		
(i) संपत्ति, प्लांट और उपकरण के पुस्तकों के शेष एवं कर शेषों में अंतर पर	(957,447)	363,575
	(957,447)	363,575
7. अन्य दीर्घकालीन दायित्व		
(अ) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियां	117,682,196	107,831,200
	117,682,196	107,831,200
8. अल्पकालीन ऋण		
(अ) असुरक्षित ऋण		
(i) बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	898,207,709	941,049,494
	898,207,709	941,049,494
9. व्यावसायिक देनदारियाँ		
(अ) व्यावसायिक देनदारियाँ (स्वीकृतियों को छोड़कर) (नोट 34 को देखें)	697,104,342	701,839,773
	697,104,342	701,839,773

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट विशिष्टियाँ सं.	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
10. अन्य चालू दायित्व		
(अ) सदस्यता निरस्त की देनदारियाँ	16,163,575	15,757,030
(ब) अर्जित ब्याज परन्तु ऋण पर देय नहीं	13,534,493	6,491,831
(स) अदत्त/अदावाकृत (Unclaimed) लाभांश	5,888,097	5,818,528
(द) वैधानिक देय	5,769,877	5,616,867
(य) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	3,876,058	15,687,254
(र) एन.डी.डी.बी. को देय-अप्रयुक्त अनुदान (नोट 32 को देखें)	138,983	98,379,329
	45,371,082	147,750,838
11. अल्पकालीन प्रावधान		
(अ) ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान (शुद्ध ग्रेच्युटी फंड ₹. 1,53,69,100)	117,558	-
(ब) आयकर हेतु प्रावधान (शुद्ध कर भुगतान ₹. 3,45,70,761)	21,312,018	-
	21,429,576	-

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

12. संपत्ति, खांसां और उपकरण

(रुपये ₹ में)

(अ)	विशिष्टियाँ	सकल बलॉक			संचित मूल्य हास/क्षति			शुद्ध बलॉक	
		01 अप्रैल, 2019 को स्थिति	बृद्धि निकासन	31 मार्च 2020 को स्थिति	वर्ष के तिवे को स्थिति	संपत्तियों के निकासन पर हासि	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
(अ) मूल संपत्तियाँ (स्वयं की)									
बिल्डिंग (पिछले वर्ष)	7,204,318 (7,204,318)	- (-)	7,204,318 (7,204,318)	5,038,768 (4,735,701)	303,067 (303,067)	- (-)	5,341,835 (5,038,768)	1,862,483 (2,165,550)	2,165,550 (2,468,617)
खांसां एवं उपकरण (पिछले वर्ष)	467,751,426 (431,340,780)	438,370 (38,820,058)	2,968,723 (2,409,412)	465,221,073 (467,751,426)	232,532,228 (182,561,357)	45,344,068 (52,204,830)	2,684,472 (2,233,959)	275,191,823 (232,532,228)	190,029,249 (235,219,198)
फर्मचर तथा फिरचर्स (पिछले वर्ष)	23,130,321 (23,278,629)	- (20,650)	104,952 (168,958)	23,025,369 (23,130,321)	21,746,424 (21,768,628)	126,104 (146,754)	104,952 (168,958)	21,767,575 (21,746,424)	1,257,793 (1,383,897)
आर्थिक उपकरण (पिछले वर्ष)	6,549,906 (6,458,043)	140,000 (91,863)	- (-)	6,689,906 (6,549,906)	3,099,834 (2,425,426)	620,634 (674,408)	- (-)	3,720,468 (3,099,834)	2,969,438 (3,450,072)
कम्प्यूटर्स (पिछले वर्ष)	81,482,304 (81,579,801)	127,428 (63,720)	165,944 (161,217)	81,443,789 (81,482,304)	80,908,791 (75,179,054)	570,136 (5,890,954)	165,944 (161,217)	81,312,984 (80,908,791)	130,805 (573,513)
चोगा (अ)	586,118,275 (549,861,571)	705,798 (2,739,587)	3,239,619 (586,118,275)	583,584,454 (286,670,166)	343,326,045 (59,220,013)	46,964,008 (2,564,134)	2,955,368 (343,326,045)	387,334,686 (343,326,045)	196,249,769 (242,792,230)
गत वर्ष									
(ब) अमूल संपत्तियाँ (स्वयं के अलावा अन्य अवित्त)									
कम्प्यूटर सॉफ्टवेर (पिछले वर्ष)	136,025,200 (134,067,893)	- (1,957,307)	- (136,025,200)	136,025,200 (85,164,837)	120,060,660 (34,895,823)	15,022,352 (-)	- (120,060,660)	942,188 (15,964,540)	15,964,540 (48,903,056)
ट्रेड मार्क (पिछले वर्ष)	90,000 (90,000)	- (-)	90,000 (90,000)	90,000 (90,000)	- (-)	- (-)	90,000 (90,000)	- (-)	- (-)
चोगा (ब)	136,115,200 (134,157,893)	- (1,957,307)	- (-)	136,115,200 (136,115,200)	120,150,660 (85,254,837)	15,022,352 (34,895,823)	- (-)	135,173,012 (120,150,660)	942,188 (15,964,540)
गत वर्ष									

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

नोट्स :	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	(रुपये ₹ में)	(रुपये ₹ में)	(रुपये ₹ में)	(रुपये ₹ में)
(i) पूल्य हास एवं शक्ति संबंधी खर्च	46,964,008	59,220,013		
मूर्ति संपत्तियों पर	15,022,352	34,895,823		
आर्थि संपत्तियों पर	31,013,644	58,226,088		
घटाईः : अनुदान से खरीदी गई सम्पत्तियों पर पूल्य हास				35,889,748
				<u>30,972,716</u>

(ii) पूर्जीत अनुदान से खरीदी गई एवं उत्तरोक्त सारणी में सम्मिलित सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट 32 को देखें) :-

संपत्तियाँ	सकल बताएँक		संचित मूल्य हास/ क्षति		शुद्ध बताएँक	
	01 अप्रैल, 2019 को स्थिति	बुद्धि निकासन	31 मार्च 2020 को स्थिति	वर्ष के लिये निकासन पर हासि	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
मूर्ति संपत्तियाँ :-						
बिल्डिंग	3,190,183	-	3,190,183	1,024,631	303,067	-
प्लांट एवं उपकरण	169,254,935	-	4,539	169,250,396	84,091,861	16,160,313
आपूर्ण संपत्ति उपकरण	4,888,788	-	-	2,274,664	461,238	4,539
फर्नीचर तथा फिक्वर्स	19,606,275	-	104,952	19,501,323	45,132	104,952
कम्प्यूटर्स	72,930,046	-	157,731	72,772,315	63,785	157,731
अन्यून संपत्तियाँ	130,233,393	-	-	130,233,393	116,194,830	13,980,109
कम्प्यूटर फाइल्स/वेर						
योग	400,103,619	-	267,222	399,836,397	295,560,457	31,013,645
					267,222	326,306,879
						73,529,518
						104,543,163

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(रुपये ₹ में)

नोट	विविषितियाँ	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
13.	दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) प्रतिभूति जमा	8,864,349	5,672,145
	(ब) पूर्वदत्त व्यय	445,109	-
	(स) अग्रिम कर (प्रावधानों का शुद्ध रु. 28,36,26,612 पिछले वर्ष रु. 25,40,26,612)	16,892,010	16,907,435
		26,201,468	22,579,580
14.	स्टॉक (लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो कम हो उस पर)		
	(अ) स्टॉक इन ट्रेड	42,671,270	62,384,208
	(ब) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	38,294,525	66,416,651
		80,965,795	128,800,859
15.	व्यावसायिक लेनदारियाँ (अ) देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया- सुरक्षित, उचित माने गये		
	(ब) अन्य	1,470,413	840,465
	(i) सुरक्षित, उचित माने गये	29,174,902	38,055,846
	(ii) असुरक्षित, उचित माने गये	1,581,797,232	1,487,584,461
		1,612,442,547	1,526,480,773
16.	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य (अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	(i) बैंक में जमा :		
	(अ) चालू खातों में	40,702,194	212,344,762
	(ब) जमा खातों में -वास्तविक परिपक्ता की अवधि तीन महीनों से कम रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य लेखा मानक 3 के अनुसार	294,539,936	586,169,659
		335,242,129	798,514,421
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	(i) जमा खाते में (वास्तविक परिपक्ता की अवधि तीन महीनों से अधिक)	641,801,064	194,264,316
	(ii) बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा के सम्मुख प्रतिभूति के रूप में शेष राशि	24,119,328	22,575,551
	(iii) निर्धारित खातों में -अदत्त लाभांश खाते	5,888,097	5,818,528
		1,007,050,619	1,021,172,816

नोट:

(i) रु. 2,41,19,328 (पिछले वर्ष रु. 2,25,75,551) की सावधि जमा बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए प्रतिभूत की गई है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट सं. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
17. अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गये)		
(अ) कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम	4,740	20,202
(ब) गेंच्चुटी फंड (पिछले वर्ष-दायित्वों का शुद्ध रु. 1,10,45,996)	-	1,473,519
(स) अवकाश का नकदीकरण फंड (दायित्वों का शुद्ध रु. 1,17,45,317 पिछले वर्ष रु. 77,68,975)	3,895,388	4,923,848
(द) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	246,615	1,670,998
(घ) पूर्वदत्त व्यय	6,423,604	5,141,007
(र) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	2,288,210	13,796,111
(ल) एन.डी.डी.बी. से प्राप्त होने योग्य अनुदान (नोट 32 देखें)	-	1,366,600
	12,858,557	28,392,285
18. अन्य चल संपत्तियाँ (असुरक्षित, उचित मानी गई)		
(अ) अर्जित ब्याज परन्तु बैंक जमाओं पर देय नहीं	22,483,866	22,540,286
	22,483,866	22,540,286
नोट सं. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
19. व्यवसाय से आय		
(अ) उत्पादों की बिक्री		
(i) सकल विक्रय	18,619,032,063	15,300,442,380
(ii) घटाइये : पुनः क्रय के लिए तृतीय पक्ष (दुध प्रोसेसर) को विक्रय (निर्दिष्ट नोट संख्या (i) देखें)	1,410,115,166	1,068,966,745
(iii) शुद्ध विक्रय	17,208,916,896	14,231,475,635
नोट: (i) दुध की प्रोसेसिंग और पैकेरिंग के लिए तृतीय पक्ष को विक्रय, जो उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए पुनः क्रय किया जाता है, को दर्शाता है।		
विक्रय किये गये उत्पाद:		
(ii) व्यावसायिक माल		
(अ) कच्चा दुध	14,406,039,124	11,959,560,049
(ब) पांली पैक दुध	1,376,739,060	1,119,394,143
(स) अन्य दूध उत्पादक	82,531,516	83,134,713
(द) धी	398,560,837	343,709,053
(य) पशु आहार	932,770,073	713,110,055
(र) सीमेन	12,276,288	12,567,622
कुल	17,208,916,896	14,231,475,635
20. अन्य आय		
(अ) ब्याज से आय		
(i) बैंक जमाओं पर	50,795,146	48,354,984
(ब) अन्य गैर-व्यवसायिक आय		
(i) सदस्यता शुल्क	1,750,926	2,050,467
(ii) दायित्व जिसे वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है।	792,725	4,853,719
(iii) संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ	2,871,762	2,685,496
(iv) विविध आय	5,919,871	5,761,962
	62,130,430	63,706,628

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट विशिष्टियाँ सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
21. व्यवसायिक माल का क्रय		
(अ) कच्चा दुध	12,993,927,367	10,736,676,538
(ब) पॉली पैक दुध	1,429,090,067	1,043,827,706
(स) घी	442,290,720	398,186,301
(द) पशु आहार	923,873,616	697,089,604
(य) अन्य दूध उत्पादक	79,255,446	74,474,016
(र) सीमेन	23,248,391	11,985,880
	15,891,685,607	12,962,240,045
22. तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में कमी/ (वृद्धि)		
(अ) वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेड	62,384,208	75,409,951
स्टॉक इन ट्रांजिट	66,416,651	50,881,651
	128,800,859	126,291,602
(ब) वर्ष के समाप्ति पर स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेड	42,671,270	62,384,208
स्टॉक इन ट्रांजिट	38,294,525	66,416,651
	80,965,795	128,800,859
स्टॉक में शुद्ध कमी या (वृद्धि)	47,835,064	(2,509,258)
23. कर्मचारी लाभों संबंधी व्यय		
(अ) वेतन एवं मजदूरी	107,045,331	83,339,808
(ब) भविष्य व अन्य निधियों में योगदान	11,054,753	9,437,188
(स) कर्मचारी कल्याण व्यय	4,059,694	4,302,018
	122,159,778	97,079,014

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट विशिष्टियाँ सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
24. वित्त लागत		
(अ) त्रहण पर ब्याज व्यय	31,692,511	33,845,682
(ब) वैधानिक देय भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	18,753	2,752
	31,711,264	33,848,434
25. अन्य व्यय		
(a) स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	13,857,441	8,729,225
(b) पॉवर एवं प्लूल	2,457,399	2,428,298
(c) दुग्ध अवशीतन शुल्क	141,326,181	138,282,555
(d) किराया	7,051,676	6,757,193
(e) मरम्मत एवं रख-रखाव - भवन	4,639,517	5,634,113
(f) मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	73,348,393	46,536,759
(g) मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्य	1,403,255	1,255,345
(h) विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	40,481,877	43,646,377
(i) भाड़ा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	580,312,015	548,619,737
(j) बीमा भार	5,750,674	4,154,744
(k) विधिक एवं पेशेवर शुल्क	28,765,278	28,909,906
(l) अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	1,938,904	1,842,703
(m) यात्रा एवं परिवहन व्यय	17,065,374	14,897,616
(n) प्रशिक्षण व्यय	4,107,426	3,669,618
(o) संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	85,149,391	76,714,657
(p) संप्रेषण व्यय	18,488,867	15,421,455
(q) विविध व्यय	15,091,905	13,664,207
	1,041,235,575	961,164,508
नोट:		
(i) अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है :		
(अ) वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	1,356,000	1,280,000
(ब) कर अंकेक्षण शुल्क	212,000	200,000
(स) खर्चों की प्रतिपूर्ति	75,139	81,613
(द) उपरोक्त पर कर	295,765	281,090
	1,938,904	1,842,703

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट विशिष्टियाँ सं.	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
---------------------	-------------------------	-------------------------

<p>26. आकस्मिक दायित्व एवं प्रतिबद्धतायें</p> <p>अ. आकस्मिक दायित्व</p> <p>(a) कम्पनी के सम्मुख दावा जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया</p> <p>(i) मुकदमों के अंतर्गत उपभोक्ता दावें</p> <p>ब. प्रतिबद्धतायें</p> <p>पूँजी खातें पर निष्पादित होने वाले शेष सविदा के अनुमानित राशि और प्रदान नहीं किया गया</p> <p>(शुद्ध अग्रिमों का भुगतान रु. Nil)</p>	
	1,455,575
	-
	1,455,575
27.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में, दिनांक 14 अगस्त, 2020 को निदेशक मंडल की बैठक में कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रु. 2,92,45,489 (रु. 7 प्रति अंश) अंतिम लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया है। समता लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयर धारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा तथा वित्तीय विवरणों में दायित्वों के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित समता लाभांश पूर्ण प्रदत्त अंशों के सभी धारकों को देय है।
28.	कम्पनी ने अपने सदस्यों से रु. 1,69,48,800 की अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसके समक्ष 25 जून, 2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक में आंदोलन कर दिया गया है।
29.	कर्मचारी लाभ योजनायें

निर्धारित योगदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनायें प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कम्पनी दोनों ही पूर्व निर्धारित योगदान भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते हैं। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते हैं।

कम्पनी ने रु. 7,292,593 (पिछले वर्ष रु. 6,639,074) की राशि को लाभ-हानि खातें में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुश्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनाओं कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के वर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्युटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रैडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्युटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पेशित स्थिति को दर्शाती है।

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
i. निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	11,045,996	7,855,495
ब्याज लागत	829,855	595,020
चालू सेवा लागत	2,916,100	2,209,521
लाभ का भुगतान	(253,701)	(255,922)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	948,408	641,882
वर्ष के समापन पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	15,486,658	11,045,996
ii. योजना संपत्तियों का उचित मूल्य		
वर्ष के प्रारम्भ में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	12,519,515	8,320,938
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	1,059,387	783,455
योगदान	2,097,359	3,802,828
लाभ का भुगतान	(179,977)	(252,560)
योजना संपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(127,184)	(135,146)
वर्ष के समापन पर योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	15,369,100	12,519,515
iii. योजना संपत्तियों पर प्राप्ति		
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	1,059,387	783,455
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(127,184)	(135,146)
योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	932,203	648,309
iv. चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि		
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	15,486,658	11,045,996
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	15,369,100	12,519,515
चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	117,558	(1,473,519)
v. लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे		
वर्तमान सेवा लागत	2,916,100	2,209,521
ब्याज व्यय	829,855	595,020
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(1,059,387)	(783,455)
वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध (लाभ)/हानि	1,075,592	777,028
लाभ-हानि खाते में स्वीकृत व्यय	3,762,160	2,798,114
vi. चिट्ठे का मिलान		
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	(1,473,519)	(465,443)
उपरोक्तानुसार व्यय	3,762,160	2,798,114
योगदान	(2,097,359)	(3,802,828)
वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	191,282	(1,470,157)

कम्पनी की योजना संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, कम्पनी के ग्रेच्यूटी योजना के दायित्वों को पूरा करने के लिये, कम्पनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत किया जाता है। योजना संपत्तियों की श्रेणी के बारें में सूचना सामूहिक ग्रेच्यूटी कोष में विनियोग पद्धति के सन्दर्भ में कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता तथा खर्चों हेतु बीमांकिक गणना निम्न अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें यदि परिवर्तन होता है तो निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, पोषण आवश्यकताओं तथा खर्चों की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

vii. मुख्य बीमांकिक अनुमान

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
बटे की दर	6.76 % वार्षिक	7.60 % वार्षिक
अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00 % वार्षिक	10.00 % वार्षिक
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	7.83 % वार्षिक	7.76 % वार्षिक
संघर्षण दर (Attrition rate)		
30 वर्ष से कम	3 %	3 %
आयु 31 से 44 वर्ष	2 %	2 %
आयु 44 और इससे अधिक	1 %	1 %
प्रयुक्त मृत्यु-दर सारणी	आई.ए.एल.	आई.ए.एल.
Mortality table used	(2012-14) (अन्तिम)	(2012-14) (अन्तिम)

योजना सम्पत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर कई लागू कारक, जैसे कि योजना सम्पत्तियों की संरचना, निवेश योजना, बाजार परिदृश्य आदि, पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाती है।

बटे की दर आर्थिक चिठ्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित प्रतिबद्धताओं की अनुमानित अवधि के लिये बाजार लाभ पर निर्भर करती है।

भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोन्नतियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

viii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के लिये बीमांकिक अनुमान

उपरोक्त vii के समान मुख्य बीमांकिक अनुमानों का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

ix. अनुभव समायोजन

	31.03.2020 (रुपये में)	31.03.2019 (रुपये में)	31.03.2018 (रुपये में)	31.03.2017 (रुपये में)	31.03.2016 (रुपये में)
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	15,486,658	11,045,996	7,855,495	6,025,647	3,782,730
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	15,369,100	12,519,515	8,320,938	6,264,923	4,436,814
पोषित स्थिति	117,558	(1,473,519)	(465,443)	(239,276)	(654,084)
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(948,408)	(641,882)	335,559	(1,053,859)	(225,553)
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	(127,184)	(135,146)	(74,436)	(58,762)	(121,748)

नोट सं. 30. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज किराया संबंधी रु. 70,51,676 (पिछले वर्ष रु. 67,57,193) के खर्चों को लाभ-हानि खाता विवरण में दर्शाया है।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के भवन की लीज 8 वर्ष तथा 8 माह के लिए की गई है जो 6 माह का नोटिस देकर Lessee की मांग पर निरस्त की जा सकती है। अनुबंध में लीज के भुगतान को प्रत्येक 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रावधान है। कलस्टर एवं बिन्दायका कार्यालय की लीज क्रमशः 6 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए है एवं लीज का भुगतान प्रत्येक वर्ष बाद 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। अन्य कार्यालय परिसर का 11 महिने की अवधि के लिये किरायेनामा है, जिससे केवल Lessee द्वारा Lessor की अनुमति से निरस्त किया जा सकता है।

भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्न प्रकार है :

विशिष्टियाँ	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2019 को स्थिति
एक वर्ष बाद देय नहीं	4,273,043	4,015,547
एक वर्ष बाद देय पर पांच वर्ष बाद देय नहीं	5,564,799	5,564,850
पांच वर्ष बाद देय	-	-
	<u><u>9,837,842</u></u>	<u><u>9,580,397</u></u>

नोट सं. 31. प्रति समता अंश आय

(राशि ₹ में)

विशिष्टियाँ	ईकाई	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष पर
कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	50,874,946	133,336,729
वर्ष के दौरान भारित औसत अदर्त	संख्या	3,800,924	3,294,226
समता अंशों की संख्या	रूपये	100	100
प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रूपये	13.38	40.48
प्रति अंश मूल आय	रूपये	3,801,233	3,294,582
प्रयोग किये गये समता अंश	रूपये	13.38	40.47
प्रति अंश डायल्फूटेड आय की गणना हेतु			

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

नोट सं. 32. सरकारी अनुदानों का विवरण

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष पर
	नेशनल डेयरी डबलपर्मेंट बोर्ड से प्राप्त अनुदानों का विवरण एवं उनका उपयोग निम्न प्रकार है:-		
(अ)	प्रारंभिक शेष	(1,366,600)	(19,695,022)
(ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त	10,373,728	104,042,343
		<hr/> 9,007,128	<hr/> 84,347,321
(स)	वर्ष के दौरान उपयोग		
	(i). पूँजीगत संपत्तियों के लिये -संपत्ति, प्लांट और उपकरण के लिये	-	657,850
	(ii) आयगत व्यय के लिये	8,868,146	85,056,071
	कुल उपयोग (i)+(ii)	<hr/> 8,868,146	<hr/> 85,713,921
(द)	शेष को आगे ले गये(अ+ब-स)	<hr/> 138,982	<hr/> (1,366,600)

नोट: पूँजीगत संपत्तियों के खरीद में उपयोग किया गया अनुदान, स्थगित अनुदान में दर्शाया गया है तथा आयगत अनुदान के उपयोग को उससे संबंधित खर्चों में समायोजित कर दिया गया है। (देखें नोट 2K)

नोट सं. 33. लेखा-मानक AS-18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण” (Related Party Disclosures) का विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप

संबंधित स्वरूप	व्यक्ति का नाम
----------------	----------------

मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)

रतन कुमार सिंह

(ब) उपरोक्त संबंधित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन-देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है:-

(राशि ₹ में)

विशिष्टियाँ	मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	योग
प्रबंधक पारिश्रमिक:-		
रतन कुमार सिंह	6,255,175 (5,566,478)	6,255,175 (5,566,478)

कोष्ठक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।

34. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण

विवरण

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये
(i) लेखांकन वर्ष के समाप्त पर किसी भी आपूर्तिकर्ता की अदत्त मूल राशि	6,636,331	-
(ii) लेखांकन वर्ष के समाप्त पर किसी भी आपूर्तिकर्ता के बकाया अदत्त राशि पर ब्याज	-	-
(iii) नियुक्ति की दिनांक के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ ब्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और भुगतान के योग्य ब्याज की राशि	-	-
(v) अर्जित ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के समाप्त पर अदत्त	-	-
(vi) पूर्ववर्ती वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज की राशि ऐसी दिनांक तक जब तक कि देय ब्याज की राशि का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-
प्रबंधन द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर, सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी उद्योगों को देय राशि का निर्धारण किया गया है। लेखा परीक्षक द्वारा इसी पर विश्वास किया गया है।		
35. कम्पनी दुध तथा पशु आहार के व्यवसाय से संबंधित है। जिसको एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। कम्पनी भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है। चूंकि कम्पनी एक व्यावसायिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए लेखा मानकों AS-17 के अनुसार खण्ड सूचना प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।		
36. 20 सितम्बर, 2019 को, भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 से आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115BAA को सम्मिलित किया गया है, जो घरेलू कम्पनियों को दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से कुछ शर्तों के साथ 30 प्रतिशत के स्थान पर 22 प्रतिशत की कम दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कर व्यय को कम कर की दर से प्रदान किया गया है।		
37. गृह मंत्रालय ने दिनांक 24.03.2020 को क्रमांक सं. 40-3/2020 के आदेश के अनुसार, कम्पनी के दूध और दूध उत्पादों के व्यापार को आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया। इसलिए, डेयरी व्यवसाय जैसाकि संचालित होता है, उन व्यवसायों में से है जो COVID-19 के कारण महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हुई है। इसलिए, कम्पनी को विश्वास है कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर COVID-19 20 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के अनुमानों में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की अपेक्षा नहीं कर रही है क्योंकि कम्पनी अपने व्यवसाय और परिचालन को बिना किसी बड़ी रुकावट के संचालित कर रही है।		
38. वित्तीय वर्ष 2016–2017 में विशिष्ट बैंक नोटों की प्राप्ति और जमा रु. 3,45,70,500 (दिनांक 09 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 के दौरान), को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 के तहत अद्योषित आय के रूप में माना है और भविष्य निधि की राशि रु. 497,735 के विलंबित भुगतान को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान, कम्पनी को आयकर अधिकारियों से डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है। कर दायित्व और ब्याज दायित्व क्रमशः रु. 2,68,77,967 और रु. 78,72,361 है। कम्पनी के निदेशक मंडल ने “विवाद से विश्वास योजना” के तहत उपलब्ध अवसर का चयन करने का निर्णय किया, जिसके लिए कम्पनी के खातों में रु. 2,68,77,967 की राशि का प्रावधान किया है और रु. 63,90,100 का प्रारंभिक भुगतान किया है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्रता रखने के लिए, शेष राशि का भुगतान 31 दिसम्बर, 2020 से पहले करना होगा।		
39. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुसार, जहाँ भी आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत / पुनः एकत्र किया गया है।		

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह. / - मंजु. जाखड़ निदेशक	ह. / - सुखपाल जाट निदेशक	ह. / - रतन कुमार सिंह निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
ह. / - अनूप गुप्ता कम्पनी सचिव	ह. / - कपिल पचौरी सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)	

स्थान : जयपुर

दिनांक : 14 अगस्त, 2020

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
 दूरभाष नं. 91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की नौर्वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 09.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड़ जयपुर-302027 पर निम्न कार्यों के लिये होगी:-

1. 31 मार्च, 2020 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-

“दिनांक 31 मार्च, 2020 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

2. कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी पर रु. 7/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 41,77,927 समता अंशों पर रु. 2,92,45,489/- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

3. श्रीमती गीता देवी गुर्जर (DIN - 07573959), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती गीता देवी गुर्जर (DIN - 07573959), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

4. श्रीमती मंजू जाखड़ (DIN - 06441908), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रही है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों

या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश), श्रीमती मंजू जाखड़ (DIN - 06441908), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगी तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्रीमती ममता चौधरी (DIN - 08842062) जो “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

5. श्री इंगर सिंह राठौड़ (DIN - 06939769), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के कारण “श्रेणी बी” में रिक्त पद को वर्तमान समय में नहीं भरने पर विचार करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री इंगर सिंह राठौड़ (DIN - 06939769), बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे और उनके पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होने के कारण, “श्रेणी बी” का एक रिक्त पद वर्तमान समय में भरा नहीं गया है।”

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, गुरुग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को रूपये 14,92,000 (अक्षरे चौदह लाख बानवे हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।”

7. 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतदद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

8. श्री लादू लाल (DIN - 08856442), को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है और सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश), श्री लादू लाल (DIN - 08856442) जो “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

9. कम्पनी के अंतर्नियम में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

“प्रस्ताव रखा जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581-I, 581-ZQ, 581-ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी

प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण-अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले वर्तमान कम्पनी अंतर्नियमों को जहां तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

1. वर्तमान अनुच्छेद 9.6 ii को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये।
 - ii. बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, वार्षिक आम सभा में बोर्ड के किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति की जायेगी।
2. वर्तमान अनुच्छेद 11.6 (i) (c) को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये।
 - c. किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो सदस्य न हो। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त एक सदस्य, ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या 300 से अधिक नहीं हो और उनकी कुल अंश पूँजी कम्पनी की अंश पूँजी से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, की ओर से कार्य करेगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

बोर्ड के आदेशानुसार
वास्ते पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./-

स्थान : जयपुर
दिनांक : 26 अक्टूबर, 2020

(अनूप गुप्ता)
कम्पनी सचिव

टिप्पणी:-

1. कम्पनी प्रबंधन को प्रशासन द्वारा COVID-19 से संबंधित जारी सभी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना है। इसलिए, कम्पनी के सदस्य जो व्यक्तिगत रूप से वार्षिक आम सभा (AGM) में भाग लेना चाहते हैं, वह वार्षिक आम सभा की निर्धारित तिथि से 7 दिन पूर्व कम्पनी को आवश्यक रूप से सूचित करें ताकि कम्पनी सामाजिक दूरी के मापदंड और COVID-19 से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने के लिए, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर सके। COVID-19 के जोखिम को कम करने के लिए, कोई भी सदस्य कम्पनी को पूर्व में सूचना दिये बिना वार्षिक आम सभा में भाग नहीं ले सकता है।

2. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।
3. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
4. कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागेदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वर्गीकृत करने का मापदंड सातवीं वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया है।
5. सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार:-

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2019-20), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 112169 सदस्य दर्शाये गये हैं, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2019-20 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार है:-

- (a) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, “श्रेणी ए” के 4250 सदस्य, “श्रेणी बी” के 10305 सदस्य और “श्रेणी सी” के 29461 सदस्य (कुल 44016 सदस्य) जिन्होंने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तों के साथ साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तों को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 9 इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के अधिकारी होंगे।
- (नोट-कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (“श्रेणी ए” अथवा “श्रेणी बी” अथवा “श्रेणी सी”) के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य सदस्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है।)
- (b) 13618 सदस्य जिन्होंने कम्पनी की आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होंने अपनी श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूरा नहीं किया है, तथा जिन्होंने कम्पनी की तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण की शर्तों को भी पूरा नहीं किया है, और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 4, 5 एवं 8) पर वोट नहीं कर सकते हैं परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 6, 7 और 9 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते हैं।
- (c) कुल 53197 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं की है इसलिए, उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, वे वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र हैं।

- (d) कुल 1338 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। हांलाकि, वे वित्तीय वर्ष 2019–20 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में पारित होता है, के पात्र होंगे।
- (e) दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् एवं सूचना पत्र की दिनांक तक कुल 728 नये सदस्य सम्मिलित किये गये हैं, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के लाभांश के पात्र नहीं होंगे एवं उनको वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार भी नहीं है।
- (f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुध संकलन केन्द्र के अनुसार नौवीं वार्षिक आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।
- (g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिसमें सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सके, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।
6. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः-
- निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण।
 - दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई आठवीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।
 - 31 मार्च, 2020 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ-हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों का रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।
 - वित्तीय वर्ष 2020–2021 का बजट।
7. मद संख्या 8 और 9 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को व्याख्या करने के लिए व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) सूचना पत्र के साथ संलग्न है।
8. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 से सांयः 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।
9. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर सभा में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।
10. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई आठवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।
11. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में नौवीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।
13. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।
14. सदस्य जिन्होंने अपना नामिती फार्म कम्पनी को जमा नहीं करवाया है वे नामिती फार्म भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायें। नामिती फार्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

15. असंदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई राशि जो अंतरण की दिनांक से 7 वर्षों की अवधि तक असंदत्त या अदावाकृत रहती है को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205A और 205C के अनुसार कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित करना आवश्यक है। 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए अदावाकृत या असंदत्त लाभांश की राशि को कम्पनी उपरोक्त नियमानुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (IEPF) को अंतरित कर देगी। सदस्यों से निवेदन है वे उक्त राशियों को कम्पनी द्वारा IEPF को अंतरित करने से पूर्व कम्पनी से लाभांश का दावा करना सुनिश्चित करें।

16. सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी पहचान के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA (4)(c) के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की योग्यताओं संबंधी विवरण।

कार्यसूची सं. 3, 4 और 8

नाम	श्रेणी	योग्यता	व्यवसाय
श्रीमती गीता देवी गुर्जर	श्रेणी सी	स्नातक एवं बी.एड	कृषि एवं दुग्ध उत्पादन
श्रीमती ममता चौधरी	श्रेणी बी	स्नातक एवं बी.एड	कृषि एवं दुग्ध उत्पादन
श्री लादू लाल	श्रेणी बी	12वीं उत्तीर्ण	कृषि एवं दुग्ध उत्पादन

बोर्ड के आदेशानुसार¹
वास्ते पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

स्थान : जयपुर

दिनांक : 26 अक्टूबर, 2020

ह./-

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना-पत्र दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 में दी गई मद संख्या 8 और 9 से संबंधित)

मद संख्या : 8

दिनांक 24 जुलाई, 2020 को हुई नामाकन समिति की बैठक में नामाकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री लादू लाल (श्रेणी बी के प्रतिनिधि) को निदेशक के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री लादू लाल, जिनकी योग्यता का विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA(4)(C) के अनुसार, इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी योग्य होने के कारण कम्पनी के निदेशक मंडल में श्रेणी- बी के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि उन्हे नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होने के उत्तरदायी होगे।

श्री लादू लाल, के अतिरिक्त कम्पनी के कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

नामाकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 8 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 9

कम्पनी अंतर्नियमों के वर्तमान अनुच्छेदों में कुछ संशोधन करने तथा कुछ प्रावधानों को दर्शाने/पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि समझने में और स्पष्टता लायी जा सके और समय-समय पर लागू एवं संशोधित किए जाने वाले कानूनी प्रावधानों के अनुरूप अनुच्छेदों के प्रावधानों का प्रबन्धन किया जा सके तथा बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई नामाकन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर सदस्यों द्वारा आम सभा में बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति में स्पष्टता प्रदान करना तथा आम सभा के दौरान सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी के रूप में प्रतिनिधित्व करने की सीमा को तय करने के लिए संशोधन और स्पष्टता लायी जा सके; तथा संदिग्धता समाप्त करने एवं जहाँ भी आवश्यक हो परिभाषा वाक्यांशों को विस्तारित अर्थ प्रदान किया जा सके।

इसलिए, विशेष प्रस्ताव में प्रस्तावित बदलावों के विवरणों का सुझाव दिया जाता है, जो कि कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों में कुछ नये प्रावधानों को शामिल करना अपरिहार्य बताने के साथ-साथ सरसता प्रदान करने के लिए कुछ वर्तमान अनुच्छेदों में परिवर्तन एवं व्यवसायिक क्रियाओं व कम्पनी के प्रबन्धन में सरलता लाने तथा किसी अनैच्छिक संदिग्धता को दूर करने को आवश्यक बताता है।

आगे, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581-I (1) के अनुसार, कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों में परिवर्तन करने की अनुशंसा करने के लिए न्यूनतम दो-तिहाई निर्वाचित निदेशकों या न्यूनतम एक-तिहाई उत्पादक कम्पनी के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जायेगा और एक विशेष प्रस्ताव सदस्यों द्वारा आम सभा में पारित किया जा सकता है।

निदेशक मंडल की बैठक से प्रस्तावित परिवर्तन के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रतिलिपि कार्यवाही दिनों में प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक सदस्यों की जाँच के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध रहेगी।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 9 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार^{ह. / -}
वास्ते पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(अनूप गुप्ता)
कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 26 अक्टूबर, 2020

पंजीकृत कार्यालयः

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN: U01211RJ2012PTC038955)

डी-232, 233, चौथी मंजिल,

अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर,

जयपुर-302 021 (राजस्थान)

दूरभाष नं. 91-141-2352736

Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

(नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित आठवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज अंतिम रूप से मान्य होंगे।)

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 राजस्थान में
सदस्यों की आठवीं वार्षिक आम सभा, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 समय प्रातः 10:30 बजे को सम्पन्न हुई
जिसकी कार्यसूची का विवरण निम्न है:-

बैठक में उपस्थित सदस्य :-

- | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------|
| 1. | श्रीमती मंजू जाखड़ | - अध्यक्षा एवं अंशधारक |
| 2. | श्री दूंगर सिंह राठौड़ | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 3. | श्रीमती ममता चौधरी | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 4. | श्री सेढमल शर्मा | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 5. | श्री जयसिंह राठौड़ | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 6. | श्रीमती गीता देवी गुर्जर | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 7. | श्री सुखपाल जाट | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 8. | श्री नारायण लाल गुर्जर | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 9. | श्री रामचरण जाट | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 10. | डॉ. ओमवीर सिंह | - विशेषज्ञ निदेशक |
| 11. | श्री श्रीराम सिंह | - विशेषज्ञ निदेशक |
| 12. | डॉ. सी. एल. दाधीच | - विशेषज्ञ निदेशक |
| 13. | श्री रतन कुमार सिंह | - निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी |
| 14. | श्री अनूप गुप्ता | - कम्पनी सचिव |

232 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 35269 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।

- (अ) श्रीमती मंजू जाखड़ ने बैठक की अध्यक्षता की।
- (ब) कम्पनी सचिव से सुनिश्चित करने के पश्चात अध्यक्षा महोदय ने कोरम पूर्ण की घोषणा की। कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर एवं निदेशक मंडल की समता अंश पूँजी के विवरण का रजिस्टर जांच के लिए उपस्थित था। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।
- (स) अध्यक्षा महोदय ने आठवीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया।
- (द) उपस्थिति सदस्यों की सर्व सम्मति से आठवीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।
- (य) तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं गतिविधियों संबंधी जानकारी दी। तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।
1. 31 मार्च, 2019 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
- 1.1 श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने लेखों पर ऑफिटर रिपोर्ट को पढ़ा। तत्पश्चात सदस्यों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखों पर विचार-विमर्श किया।
- 1.2 श्री सोहन यादव (फोलियो संख्या: 64726) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
प्रस्ताव संख्या 1/2019-2020-आठवीं वार्षिक आम सभा/16.09.2019

‘‘दिनांक 31 मार्च, 2019 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।’’

श्री रामरतन (फोलियो संख्या: 77911) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को बोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-

- 2.1 श्री सीताराम शर्मा (फोलियो संख्या: 142302) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 2 /2019–2020–आठवीं वार्षिक आम सभा/16.09.2019

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी पर रु. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रु. 100/- बाले पूर्ण प्रदत्त 37,40,684 समता अंशों पर रु. 3,60,76,741/- (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स रु. 61,51,269/- शामिल है) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

श्री रिद्धकरण (फोलियो संख्या: 120645) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को बोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्री सेडमल शर्मा (**DIN No. : 07255050**), जो बोर्ड में “‘श्रेणी सी’” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
- 3.1 श्री मोहन (फोलियो संख्या: 56119) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 3 /2019–2020–आठवीं वार्षिक आम सभा/16.09.2019

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री सेडमल शर्मा (**DIN No. : 07255050**), जो बोर्ड में “‘श्रेणी सी’” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

श्री राजाराम गुर्जर (फोलियो संख्या: 119221) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को बोट के लिये रखा जिसको श्रेणी सी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्री जयसिंह राठौड़ (**DIN No. : 07253278**), जो बोर्ड में “‘श्रेणी सी’” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
- 4.1 श्री शेषाराम (फोलियो संख्या: 84563) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 4/2019–2020–आठवीं वार्षिक आम सभा/16.09.2019

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री जयसिंह राठौड़ (DIN No. : 07253278), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

श्री नोरत गुर्जर (फोलियो संख्या: 161767) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी सी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती कमला देवी (DIN No. : 05358651), बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए अनिच्छा (Unwillingness) अभिव्यक्त की है, की सेवानिवृति पर विचार कर अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

- 5.1 श्रीमती रेखा सैनी (फोलियो संख्या: 99441) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 5/2019–2020–आठवीं वार्षिक आम सभा/16.09.2019

“श्रीमती कमला देवी (DIN No. : 05358651), बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि इस सभा में चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रही है और उन्होंने स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए अनिच्छा (Unwillingness) अभिव्यक्त की है, उन्हें पुनःनियुक्त नहीं किया गया और परिणामस्वरूप “श्रेणी ए” में एक रिक्त पद भरा नहीं गया है।”

श्री कालूराम यादव (फोलियो संख्या: 53102) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

- 6.1 श्री भुपेन्द्र कुमार चौधरी (फोलियो संख्या: 173402) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 6/2019–2020–आठवीं वार्षिक आम सभा/16.09.2019

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को रूपये 13,56,000 (अक्षरे तेरह लाख छप्पन हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।”

श्री मुकेश मीणा (फोलियो संख्या: 124203) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

- 7.1 श्री रामस्वरूप (फोलियो संख्या: 70291) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 7/2019–2020–आठवीं वार्षिक आम सभा/16.09.2019

“1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया, को एतदद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

श्री महावीर प्रसाद (फोलियो संख्या: 63620) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. श्री सुशील कुमार वैष्णव (DIN No. : 08527267), को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है और सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

- 8.1 श्री मनेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या: 32616) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 8/2019–2020–आठवीं वार्षिक आम सभा/16.09.2019

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण–अध्यादेश), सुशील कुमार वैष्णव (DIN No. : 08527267) जो “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

श्री हंसराज जाट (फोलियो संख्या: 33029) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अतः अध्यक्षा महोदय को धन्यवाद देने के साथ सभा सम्पन्न हुई।

ह./-

दिनांक : 20 सितम्बर, 2019

अध्यक्षा

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2020-2021 का बजट

(अ) आयगत बजट

विवरण		
(अ) आय		
दुध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	955,733
व्यापार (दुध एवं दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	175,036
अन्य आय	रुपये लाखों में	815
(ब) व्यय		
माल की लागत (परिवर्तन सहित)	रुपये लाखों में	154,921
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	20,468
कुल व्यय	रुपये लाखों में	175,389
कर से पूर्व लाभ (अ-ब)	रुपये लाखों में	462
	% विक्रय पर :	0.26%

(ब) पूंजीगत बजट 2020-2021

विवरण		
प्लांट एवं मशीनरी	रुपये लाखों में	448
ऑफिस उपकरण	रुपये लाखों में	20
आई.टी. उपकरण	रुपये लाखों में	140
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रुपये लाखों में	50
कुल	रुपये लाखों में	658

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

सदस्य
कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की शुक्रवार, 04 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 09.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट,
जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 पर होने वाली नौवीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी
उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

अंश धारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर
जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

सदस्य
कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं.....निवासी.....

.....पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का
सदस्य एतद्वारा श्री/ श्रीमती..... फोलियो संख्या

निवासी और उनकी अनुपस्थिति
में श्री/ श्रीमती फोलियो संख्या

निवासी को
कम्पनी की शुक्रवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 09.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा
खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली नौर्वी वार्षिक आम सभा में मेरी
तरफ से वोट करने के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ।

₹1/-
रेवेन्यू टिकट

(हस्ताक्षर)

दिनांक को हस्ताक्षर किये गये।

नोट: प्रॉक्सी फॉर्म को ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य
होना आवश्यक है।

बुक-प्रेस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: ई-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दृष्टांग नं. +91-141-4202108

Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com
(Dispatched by Linkintime India Pvt. Ltd., New Delhi)